

ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों
का अत्यंत सावधानीपूर्वक
अध्ययन कर व उन्हें
भली-भांति समझने के
पश्चात आयोग की वेबसाइट
पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का
प्रिंट निकालकर आवश्यक
जानकारियों की प्रविष्टि कर
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत
करें।



प्रावधिक-पत्र
विज्ञापन की शर्तों के
अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 1070 /20/चयन/2019

दिनांक 16 /07/2019

साक्षात्कार-पत्र

व्याख्याता (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

महोदय/महोदया,

व्याख्याता- संहिता सिद्धान्त; व्याख्याता- रचना शरीर; व्याख्याता- क्रिया शरीर; व्याख्याता, द्रव्यगुण; व्याख्याता- रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना; व्याख्याता- स्वस्थ्यवृत्त; व्याख्याता- अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद; व्याख्याता- प्रसूति एवं स्त्री रोग; व्याख्याता- कौमारमृत्यु; व्याख्याता- शल्य तंत्र; व्याख्याता- शालाक्य तंत्र; व्याख्याता- पंचकर्म (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के साक्षात्कार हेतु तिथि एवं समय अनुक्रमांकवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार से एक दिवस पूर्व मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आपको आयोग कार्यालय में उसी समय पर उपस्थित होना होगा, जो समय आपके साक्षात्कार हेतु निर्धारित किया गया है।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।


2.1 सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 व्याख्याता विभिन्न विषयों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित 06/2019/परीक्षा/दिनांक 08/03/2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 13.03.2019 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन की कंडिका (2) (i) के (iv) के (1) के (क) (ख) (ग) एवं 2 के अनुसार अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/पंजीयन होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22/05/2019 तक का अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.11 आपके द्वारा व्याख्याता विभिन्न विषयों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय व्याख्याता विभिन्न विषयों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

Adv. No. 06/2019/Exam, Date- 08/03/2019

व्याख्याता-2019

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
साक्षात्कार समय-सारिणी

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
Lecturer Samhita Siddhanta			
29-07-2019	30-07-2019	LEC190425000006	LEC190510000086
		LEC190425000009	LEC190510000088
		LEC190427000016	LEC190512000095
		LEC190430000026	LEC190514000099
		LEC190430000030	LEC190517000120
		LEC190502000041	LEC190518000125
		LEC190503000044	LEC190520000148
		LEC190507000064	LEC190521000150
		LEC190507000069	LEC190521000157
		LEC190508000075	LEC190521000173
Lecturer Kaumar Bhritya			
29-07-2019	30-07-2019	LEC190425000005	LEC190519000132
		LEC190427000013	LEC190521000153
		LEC190506000056	LEC190521000159
		LEC190509000076	LEC190521000160
		LEC190509000080	LEC190521000169
		LEC190509000082	LEC190521000171
		LEC190515000112	LEC190521000175
		LEC190516000114	LEC190522000181
Lecturer Swastha Vritta			
29-07-2019	30-07-2019	LEC190425000003	LEC190516000117
		LEC190506000055	LEC190519000131
		LEC190507000063	LEC190521000162
		LEC190514000100	LEC190521000166
		LEC190515000111	LEC190521000168
		LEC190516000113	LEC190522000176
		LEC190516000115	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

Advt. No. 06/2019/Exam, Date- 08/03/2019

व्याख्याता-2019

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

साक्षात्कार समय-सारिणी

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
Lecturer Prasuti Tantra and Stri Rog			
30-07-2019	31-07-2019	LEC190429000019	
		LEC190430000033	
		LEC190512000091	
		LEC190519000135	
		LEC190521000172	
Lecturer Panchkarma			
30-07-2019	31-07-2019	LEC190509000078	
		LEC190509000081	
		LEC190512000094	
		LEC190521000158	
		LEC190522000179	
Lecturer Dravyaguna			
30-07-2019	31-07-2019	LEC190512000093	
		LEC190514000104	
		LEC190514000106	
Lecturer Shalya Tantra			
30-07-2019	31-07-2019	LEC190501000039	
		LEC190511000090	
		LEC190519000136	
		LEC190521000174	
Lecturer Shalakya tantra			
30-07-2019	31-07-2019	LEC190501000040	
		LEC190511000089	
		LEC190519000134	
		LEC190521000170	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

Advt. No. 06/2019/Exam, Date- 08/03/2019

व्याख्याता-2019

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

साक्षात्कार समय-सारिणी

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
Lecturer Agad Tantra and Vidhi Ayurved			
30-07-2019	31-07-2019	LEC190512000092	
		LEC190514000098	
		LEC190515000109	
		LEC190520000143	
Lecturer Ras Shastra and Bhaishajya Kalpana			
30-07-2019	31-07-2019		LEC190428000017
			LEC190507000072
			LEC190517000119
			LEC190520000149
			LEC190521000155
Lecturer Rachna Sharir			
30-07-2019	31-07-2019		LEC190503000046
			LEC190507000070
			LEC190514000101
			LEC190515000108
			LEC190516000118
			LEC190518000123
			LEC190521000167
Lecturer kriya Sharir			
30-07-2019	31-07-2019		LEC190425000011
			LEC190507000065
			LEC190509000079
			LEC190509000083
			LEC190517000121
			LEC190521000164

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज

आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

[Signature]
16.7.19
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर

[Signature]